मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 326-27 प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/734/2017

भोपाल, दिनांक 19/03/2021

आवेदकः–
मेसर्स टन्जेन्ट एनर्जीस प्रा. लि.,
सर्वे कमांक 78/1/1, 78/1/2, 79/1,
एम.आर 10, टोल नाके के पास,
होटल शेरेटन के पीछे, कुमेड़ी,
इन्दौर– 452 555 (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदकः–
सहायक आयुक्त,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
जिला – बडवानी 451551 म.प्र.

सुनवाई दिनांक 06.02.2021

माध्यस्थम आदेश दिनांक 19-03.2021

अनावेदक सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभागं, जिला बडवानी द्वारा म. प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल के 3 प्रदाय आदेश दिनांक 30.07.2015 के माध्यम से 27 नग सबमर्सिबल पम्प, केबल एवं कन्ट्रोल पेनल सेट के प्रदाय हेतु आवेदक को प्रदाय आदेश जारी किये गये।

आवेंदक द्वारा म. प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल के 3 प्रदाय आदेशानुसार कुल राशि रू. 12,12,033/– की सामग्री का प्रदाय किया गया। प्रदायित सामग्री के विरूद्ध अनावेदक पर सम्पूर्ण बकाया मूलधन राशि रू. 12,12,033/– एवं इस राशि पर अपाईन्टेड डे दिनांक 21.09.2015 से दिनांक 19.12.2016 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 4,18,273/– इस प्रकार कुल राशि 16,30,306/– एवं भुगतान दिनांक तक के ब्याज राशि के भुगतान/वसूली का दावा आवेदन पत्र इस काउन्सिल के समक्ष, दिनांक 06.01.2017 को प्रस्तुत किया गया।

आवेदक द्वारा दावा आवेदन पत्र के समर्थन में अनावेदक/म. प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल द्वारा जारी प्रदाय आदेश, प्रदायित सामग्री के डिलीवरी चालान, प्रदायित सामग्री के भुगतान हेतु जरी बिल्स, भुगतान प्राप्ति हेतु किये गये पत्राचार, आवेदक द्वारा इकाई का जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत उद्यमी ज्ञापन अभिस्वीकृति भाग–2 (Enterpreneur Memorandum Acknowled- gement Part-2) एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है।

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 2207, दिनांक 12.04.2017, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में बिन्दुवार उत्तर एवं सूलह प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

.....2

19/3/21

अनावेदक द्वारा पत्र दिनांक 24.05.2017 एवं 23.07.2019 में समान रूप से लेख किया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में क्रय की गई सामग्री की जिला स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर जांच प्रचलित होने से, क्रय सामग्री का तत्समय भुगतान नही हो पाया था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में क्रय की गई सामग्री के लंबित देयको का भुगतान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटन प्राप्त हुआ।

आवेदक फर्म द्वारा दिनांक 06.03.2017 को कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा कर, लंबित देयकों के भुगतान हेतु निवेदन किया गया एवं भविष्य में लंबित भुगतान पर ब्याज राशि की मांग नही किये जाने और न, ही किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत किये जाने के संबंध में लेख किया गया। प्राप्त आवंटन से आवेदक को प्राप्त सामग्री के देयको की कुल राशि रू. 12,12,033/– में से वैट टैक्स की राशि रू. 64,533/– काटकर, मुलधन की कुल राशि रू. 11,34,000/– का भुगतान किया गया है।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर आवेदक द्वारा दिनांक 18.08.2017 को रिज्वाईण्डर प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक फर्म द्वारा दिनांक 06.03.2017 को अनावेदक को प्रस्तुत पत्र, जिसमें भविष्य में लंबित भुगतान पर ब्याज राशि की मांग नही किये जाने और न, ही किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत किये जाने का लेख किया है, के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर के बिन्दु क्रमांक 10 एवं 11 में निम्नानुसार प्रस्तुतीकरण किया गया है :–

10 That the Non Applicant dishonestly, fraudulently and maliciously created a pressure, force, threat and coercion to write the above mentioned letter which the Applicant never intended to execute the same. It is further submitted that the letter dated 06.03.2017 is legally null and void document or that the same does not create any legal right, title and interest and in favor of Non Applicant and cannot be looked into for any legal purposes and values or that the same is legally inadmissible. It is further submitted that the intentions of the Non Applicant have turned dishonest and the undue influence which they are creating on Applicant in unlawful and against the law.

11 It is also pertinent to mention that the non-applicant made a void agreement by way of entering into an agreement with applicant in restraint of legal proceedings under S.28 of the Indian Contract Act, 1872. That the said letter dated 06.03.2017 issued by the applicant was totally at the behest of the non-applicant to imposed the condition on the applicant that the said amount would be released on the terms and condition of applicant only if they undertake not to initiate any legal proceedings in future. Applicant being under the undue influence of the non- applicant had no other choice but to issue the letter. However this kind of arrangement is illegal and void under the Indian contract act. The very fact that the non- applicant by way of this undertaking wanted to restraint the applicant from approaching appropriate forum proves that the non- applicant acted malafidelyand ill motives therefore it would be unjust for the court to give any legal recognition to the letter issued by the applicant confirming that it will not take legal recourse.

.....3

19/8/21

प्रकरण सुनवाई दिनांक 27.05.2017, 28.04.2018 एंव 06.02.2020 को सुनवाई/सुलह हेतु नियत किया गया।

सुनवाई दिनांक 06.02.2021 को उभयपक्ष उपस्थित।

आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि, उन्हें अनावेदक से मूलधन की राशि रु0 ग्यारह लाख प्राप्त हो गए हैं एवं रु0 एक लाख अनावेदक से लेना शेष हैं। साथ ही ब्याज राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

अनावेदक ने काउंसिल के समक्ष भुगतान करने की सहमति दी ।

काउंसिल बैठक में उभयपक्ष की सहमति के आधार पर शेष मूलधन राशि रु0 एक लाख का भुगतान अनावेदक द्वारा आवेदक को करने हेतु अंतिम आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया। अंतिम आदेश पारित हो।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र सह संलग्नक एवं रिज्वाईण्डर तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर आवेदन पत्र के परीक्षणोपरान्त, मुख्य रूप से यह पाया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत देयको में दर्शित सामग्री के मूल्य पर अधिरोपित वैट टैक्स अनावेदक द्वारा काटा गया है, किन्तु अनावेदक द्वारा देयको में दर्शित सामग्री के मूल्य से कम राशि का भुगतान, बिना कोई कारण बताये, किया गया है, जो निम्नानुसार सारणी से स्पष्ट होता है :–

क्र.	बिल क्रमांक/दिनांक	सामग्री का मूल्य	वैट टैक्स	कुल बिल राशि	अनावेदक द्वारा सामग्री की भुगतान की गई राशि	काटा गया वैट टैक्स	भुगतान की गई कुल राशि	सामग्री के मूल्य की कम भुगतान की गई अन्तर की राशि (5–8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	55, 05.08.2015	425000.00	23901.00	448901.00	420000.00	23901.00	443901.00	5000.00
2	56, 05.08.2015	212500.00	11951.00	224451.00	210000.00	11951.00	221951.00	2500.00
3	57, 05.08.2015	510000.00	28681.00	538681.00	504000.00	28681.00	532681.00	6000.00
	योग :–	1147500.00	64533.00	1212033.00	1134000.00	64533.00	1198533.00	13500.00

उपरोक्तानुसार अनावेदक द्वारा देयको में दर्शित सामग्री के मूल्य की कुल राशि रू. 11,47,500/– में से राशि रू. 11,34,000/– का भुगतान किया गया है तथा राशि रू. 13,500/– का भुगतान अनावेदक द्वारा नही किया गया है। कम भुगतान की गई राशि रू. 13,500/– के संबंध में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर में कोई लेख नही किया गया है। अतः आवेदक द्वारा देयको में दर्शित सामग्री के मूल्य की कुल राशि रू. 11,47,500/– में से कुल राशि रू. 13,500/– का कम राशि का भुगतान अनावेदक द्वारा किया जाना पाया गया है।

.....4

19/3/21

उपरोक्तानुसार सुनवाई दिनांक 06.02.2021 को आवेदक की सहमति के आधार पर अनावेदक को बकाया मूलधन राशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित करते हुए आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्तानुसार अनावेदक पर राशि रू. 13,500/– बकाया है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला–बडवानी 451551 म.प्र. द्वारा, बकाया मूलधन राशि रू. 13,500/– (रूपये तेरह हजार पांच सौ मात्र) का भुगतान आवेदक मेसर्स टन्जेन्ट एनर्जीस प्रा. लि., सर्वे कमांक 78/1/1, 78/1/2, 79/1, एम.आर 10, टोल नाके के पास, होटल शेरेटन के पीछे, कुमेड़ी, इन्दौर–452555 (म.प्र.) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्षम प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

19/3/21
(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।